-:प्रेस विज्ञप्तिः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–06 सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः –

अवगत कराना है, कि दिनांक 22.06.2015 को वादी मौ0 फिरोज पुत्र मौ0 याकूब नि0 खजूरतला चौक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर के भाई अमजद को अभियुक्तगण 1. नदीम पुत्र आजाद नि0 गली नं0 02 इन्द्र चौक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर एवं 2.शाहीद पुत्र नन्ना नि0 इशरत कास्बान के पास मौ0 धोबी बाग थाना मण्डी जनपद सहारनपुर द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने की सूचना पर मु0अ0स0 223/2015 धारा 302,34 भादवि में थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 78/2015 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–06 स0पुर में विचाराधीन था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मांनेटरिंग सैल से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–06 स0पुर द्वारा आज दिनांक 06.04.2021 को अभियुक्त नदीम पुत्र आजाद को मु0अ0स0 223/2015 धारा 302,34 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अभियुक्त शाहीद पुत्र नन्ना को दोषमुक्त किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06-04-2021

सहारनपुर पुलिस द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 की तैयारियों एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ बनायें रखने हेतु 24 घंटो के अन्दर की गई कार्यवाही:-

- जनपद पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 107/116 द0प्र0सं0 के तहत 101 वादो में कुल 2368 व्यक्तियों के विरुद्व कार्यवाही की गई हैं।
- जनपद के विभिन्न थानो द्वारा आबकारी, गौवध अधिनियम, दहेज अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट आदि अपराधो में वांछित चल रहे कुल 15 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
- थाना नानोता, थाना बेहट, थाना मिर्ज़ापुर, थाना तीतरों,थाना सदर बाज़ार, थाना कुतुबसेर, एवं थाना मंडी पुलिस द्वारा अवैध शराब व अवैध शस्त्र सहित कुल 09 अभियुक्तो को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया।
- आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 की प्रक्रिया को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत एवं कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ बनाये रखने हेतु 24 घंटे मे कुल 14 लाईसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये।
- आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 की प्रक्रिया को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत संभ्रांत व्यक्तियों के साथ शांति समिति की मीटिंग कर शांतिपूर्वक मतदान करने के साथ-साथ कोविड 19-प्रोटोकाल के नियमों का पालन करने हेतु अपील की गई। इसके साथ-साथ जनपद के समस्त थाना प्रभारियों एवं क्षेत्राधिकारियों द्वारा क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहते हुए आम जनमानस को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को कोविड 19-प्रोटोकाल के नियमों का पालन करते हुये शांतिपूर्ण तरीके संपन्न कराने हेतु अपील की जा रही है। इसके अतिरिक्त जनपद के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा भी अपराध की रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहते हुये मतदान केन्द्रों का भ्रमण किया जा रहा है तथा स्थितियों का जायजा लिया जा रहा है।

प्रेस नोट थाना नानौता जिला सहारनपुर
दिनांक 06.04.2021

दिनांक 06.04.2021 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी गंगोह महोदय के कुशल निर्देशन मे पुलिस की सक्रियता के चलते थाना नानौता पुलिस द्वारा 03 नफर अभियुक्त **1. प्रिन्स पुत्र सुनील कुमार नि0ग्राम अरडाना थाना असान्ध जिला करनाल हरियाणा 2. देवेन्द्र सिह पुत्र सुल्तान सिह नि0ग्राम अरडाना थाना असान्ध जिला करनाल हरियाणा 3. दीपक पुत्र सतपाल सिह नि0ग्राम उमरपुर थाना थानाभवन जिला शामली** को **01 MARUTI RITZ UP 12 X 3783** के गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से उक्त गाडी मे भारी मात्रा मे देशी शराब हरियाणा मार्का व अपमिश्रित शराब बरामद हुई। आवश्यक कार्यवाही कर जेल रवाना किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता :-

1. प्रिन्स पुत्र सुनील कुमार नि0ग्राम अरडाना थाना असान्ध जिला करनाल हरियाणा
2. देवेन्द्र सिह पुत्र सुल्तान सिह नि0ग्राम अरडाना थाना असान्ध जिला करनाल हरियाणा 3. दीपक पुत्र सतपाल सिह नि0ग्राम उमरपुर थाना थानाभवन जिला शामली

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 0111/2021 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 व 272/273 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण :-

1. **20 पेटी मे 1000 पव्वे (देशी शराब हरियाणा मार्का)**
2. **01 जरीकैन मे 10 ली0 अमिश्रित शराब**
3. **02 किलो ग्राम यूरिया**
4. **01 गाडी मारुति RITZ**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम : –

1. थानाध्यक्ष श्री सोबीर नागर
2. उ0नि0 श्री आजाद सिह
3. है0का0 592 विजय कुमार
4. का0 560 सतेन्द्र कुमार
5. का0 772 अजय कुमार
6. हो0गार्ड 2077 सतीश कुमार

प्रेस नोट दिनांक 06–04–2021

थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर पुलिस द्वारा फेसबुक पर मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की अश्लील फोटो लगाकर अभद्र टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को नोकिया कम्पनी के मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तारः–

अवगत कराना हैं कि ग्राम ढाल्ला माजरा थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर में उस्मान खान (प्रोफाइल नाम) द्वारा अपनी फेसबुक आईडी पर मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की अश्लील फोटो लगाकर अभद्र टिप्पणी की गई। जिसके सम्बन्ध में आज दिनांक 06–04–2021 को थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 94/2021 धारा 153ए/295ए भादवि व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुये अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना गागलहेड़ी पुलिस को निर्देशित किया गया।

जिसके क्रम में आज दिनांक 06–04–2021 को अपर पुलिस अधीक्षक, नगर व क्षेत्राधिकारी सदर, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये उपरोक्त मुकदमें में नामजद अभियुक्त उस्मान पुत्र लियाकत निवासी ढाल्ला माजरा थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर को उसके मकान से रात्रि 02:00 बजे नोकिया कम्पनी के मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई हैं। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1–उस्मान पुत्र लियाकत निवासी ढाल्ला माजरा थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः–

1–नोकिया कम्पनी का मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः–

1–श्री सतेन्द्र कुमार राय, थानाध्यक्ष गागलहेड़ी, सहारनपुर।

2–उ0नि0 श्री सुबोध कुमार, थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।

3–का0 1953 रविन्द्र कुमार, थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।

4–का0 1203 रोहित राणा, थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।

5–हो0गा0 1337 सतपाल सिंह, थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।

<u>प्रेस नोट दिनांक 06–04–2021</u>

<u>थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा देवबन्द हाईवे घलोली मोड़ पर हुई कार लूट की घटना का किया सफल अनावरण, घटना को अंजाम देने वाला 01 शातिर लुटेरा बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गई कार व अवैध असलहा/कारतूस बरामदः–</u>

अवगत कराना हैं कि दिनांक 18–01–2021 को देवबन्द हाईवे निकट घलोली मोड़ से अज्ञात बदमाश i–20 कार नं0 यूपी 11 बीएफ–4245 को लूटकर भाग गये थे, जिसके सम्बन्ध में श्री शिवाल्य धिंगड़ा पुत्र चन्द्र प्रकाश धिंगड़ा निवासी नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर, सहाररनपुर द्वारा दी गई लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 56/2021 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना को संज्ञान लेते हुये अभियुक्तो की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु थाना देवबन्द पुलिस को निर्देशित किया गया था।

जिसके कम में दिनांक 05–04–2021 को पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस के अथक प्रयासो द्वारा उपरोक्त घटना को अंजाम देने वाले अभि0 आशू पुत्र नरेश जैन निवासी मौ0 दक्षिण कृष्णापुरी गली नं0–2 कस्बा व थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर को बाद पुलिस मुठभेड़ ग्राम इमलिया रणखण्डी पुलिया चोराहे से लूटी गई i–20 कार नं0 यूपी 11 बीएफ–4245, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस सहित समय 22:50 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई। **गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर का हिस्ट्रीशीटर है, जिसका एचएस नं0–18/ए हैं। जिसके विरुद्व पूर्व में भी कई अभियोग दर्ज हैं।** गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्व थाना देवबन्द पर अभियोग पंजीकृत करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–</u>

1–आशू पुत्र नरेश जैन निवासी मौ0 दक्षिण कृष्णापुरी गली नं0–2 कस्बा व थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

<u>बरामदगी का विवरणः–</u>

1–लूटी गई i–20 कार नं0 यूपी 11 बीएफ–4245।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर।

3–02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः–</u>

1–श्री अशोक सोलंकी, प्रभारी निरीक्षक, थाना देवबन्द, सहारनपुर।

2–व0उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह, थाना देवबन्द, सहारनपुर।

3–उ0नि0 श्री मनोज कुमार, थाना देवबन्द, सहारनपुर।

4–उ0नि0 श्री अवशेष भाटी, थाना देवबन्द, सहारनपुर।

5–है0का0 190 अफजाल, थाना देवबन्द, सहारनपुर।

6–है0का0 662 माईकल, थाना देवबन्द, सहारनपुर।

7–का0 802 शौरभ धामा, थाना देवबन्द, सहारनपुर।

8–का0 510 सचिन कुमार, थाना देवबन्द, सहारनपुर।

9–का0 1323 कुलदीप कुमार, थाना देवबन्द, सहारनपुर।

10–का0 1080 राहुल कुमार, थाना देवबन्द, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 06–04–2021

थाना नकुड पुलिस द्वारा गौमांस सहित 01 अभियुक्ता गिरफ्तार :–

दिनांक 05–04–2021 को थाना नकुड पुलिस द्वारा मौहल्ला गाडान कस्बाव अम्बेहटापीर से अभि0 रानी पत्नी स्व0 महबूब निवासी मौहल्ला गाडान कस्बाव अम्बेहटापीर थाना नकुड, सहारनपुर को गोकशी करते मय 50 किग्रा0 गोमांस व कटान के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। जबकि इसका एक अन्य साथी महबूब पुत्र महमूद निवासी उपरोक्त मौके से फरार हो गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु0अ0सं0 139/21 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना तीतरों पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 05–04–2021 को थाना तीतरों पुलिस द्वारा ग्राम मोहम्मदपुर गुर्जर से अभि0 जसवीर पुत्र बिसम्बर निवासी ग्राम मोहम्मदपुर गुर्जर थाना तीतरों, सहारनपुर को 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना तीतरों पर मु0अ0सं0 45/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 05–04–2021 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा हर्बल फैक्ट्री के सामने से अभि0 1–जोनी कुमार पुत्र अतर सिंह व 2–तासीन पुत्र यासीन निवासी हथोली थाना बेहट, सहारनपुर को 02 प्लास्टिक जरी कैन से 45 लीटर शराब खाम सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 77,78/21 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 05–04–2021 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा अजीजू की कोठी के पास हथनी कुण्ड से अभि0 सतमान पुत्र राजाराम निवासी रैय्यावाला थाना प्रतापनगर, हरियाणा को 48 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 79/21 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना मण्डी पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 05–04–2021 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा मौहल्ला शाहबलोल से अभि0 1–आशीष पुत्र सुलेमान निवासी हरेटी थाना जनकपुरी व 2–शाहनवाज पुत्र इंतजार निवासी नूरबस्ती थाना को0नगर, सहारनपुर को 01–01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गयाा। जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 207,208/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीड़िया/सोशल मीड़िया सेल
सहारनपुर।